

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक / / 2019

संख्या-2/एल०-49/2018- /स्वा०, डा० रिजवाना तबस्सुम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरगंज, किशनगंज के द्वारा उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक-07.05.2018 से 01.11.2018 तक कुल 179 (एक सौ उन्नासी) दिनों को सिविल सर्जन किशनगंज का पत्रांक-2560 दिनांक-20.11.2018 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. यह अवकाश वित्त विभागीय अधिसूचना ससंख्या-640 दिनांक-19.1.2015 के आलोक में स्वीकृत किया गया है।

3. स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-888(5) दिनांक-11.7.2018 द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के तहत संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी ।


ज्ञापांक-2/एल०-49/2018-

876(2)

पटना, दिनांक 26/12/2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) बिहार, पटना/सिविल सर्जन, किशनगंज/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरगंज, किशनगंज/जिला कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी ।